क्रम सं०–262

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018

पौष 3, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2576/79-वि-1–18-1(क)-27-18
लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विनियोग (2018–2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018 पर दिनांक 23 दिसम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2018–2019 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2018-2019 के लिए 8054,49,27,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2019 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ- 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 8054,49,27,000 रुपये (रुपये आठ हजार चौवन करोड़ उनचास लाख सत्ताईस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	100.00	–	100.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	25888.00	–	25888.00
		पूंजी :	363513.27	–	363513.27
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	231000.00	–	231000.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	4000.00	–	4000.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	4800.00	–	4800.00
		पूंजी :	500.00	–	500.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	5.00	–	5.00
		पूंजी :	1000.00	–	1000.00
37	नगर विकास विभाग	पूंजी :	10000.00	–.	10000.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	पूंजी :	50000.00	–	50000.00
42	न्याय विभाग	राजस्व :	–	440.00	440.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	1.00	–	1.00
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	500.00	–	500.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	2500.00	–	2500.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	राजस्व :	500.00	–	500.00
		पूंजी	7500.00	–	7500.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	पूंजी :	20000.00	–	20000.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	2200.00	–	2200.00

अनुसूची–(समाप्त)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
60	वन विभाग	पूंजी :	10000.00	–	10000.00
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	–	1.00	1.00
		पूंजी :	–	1.00	1.00
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	6000.00	–	6000.00
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	63000.00	–	63000.00
		पूंजी	2000.00	–	2000.00
	योग:	राजस्व :	340494.00	441.00	340935.00
		पूंजी :	464513.27	1.00	464514.27
	महायोग:		805007.27	442.00	805449.27

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश विनियोग (2018–2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018 जो इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष 2018–2019 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से हो सके, पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
संजय खरे,
प्रमुख सचिव।

No. 2576(2)/LXXIX-V-1–18-1(Ka)-27-18
Dated Lucknow, December 24, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Viniyog (2018-2019 ka Dwitiya Anupurak) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 43 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 23, 2018.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (SECOND SUPPLEMENTARY 2018-2019) ACT, 2018

(U.P. ACT NO. 43 OF 2018)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary 2018-2019) Act, 2018.

Issue of Rs. 8054,49,27,000 out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the year 2018-2019

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 8054,49,27,000 (Rs. Eight thousand fifty four crore forty nine lakh and twenty seven thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2019 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2019.

SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Grant/ Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (in lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated	Total
01	Excise Department	Revenue :	100.00	–	100.00
09	Power Department	Revenue :	25888.00	–	25888.00
		Capital :	363513.27	–	363513.27
14	Agriculture and Other Allied Departments (Panchayati Raj)	Revenue :	231000.00	–	231000.00
20	Personnel Department (Public Service Commission)	Revenue :	4000.00	–	4000.00
26	Home Department (Police)	Revenue :	4800.00	–	4800.00
		Capital :	500.00	–	500.00
31	Medical Department (Medical Education and Training)	Revenue :	5.00	–	5.00
		Capital :	1000.00	–	1000.00
37	Urban Development	Capital :	10000.00	–	10000.00
38	Civil Aviation Department	Capital :	50000.00	–	50000.00

SCHEDULE
(Concld.)

1	2		3		
Grant/ Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (in lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated	Total
42	Judicial Department	Revenue :	–	440.00	440.00
43	Transport Department	Revenue :	1.00	–	1.00
45	Environment Department	Revenue :	500.00	–	500.00
49	Women & Child Welfare Department	Revenue :	2500.00	–	2500.00
57	Public Works	Revenue :	500.00	–	500.00
	Department (Communication-Bridges)	Capital :	7500.00	–	7500.00
58	Public Works Department (Communications Roads)	Capital :	20000.00	–	20000.00
59	Public Works Department (Estate Directorate)	Revenue :	2200.00	–	2200.00
60	Forest Department	Capital :	10000.00	–	10000.00
61	Finance Department (Debt Services and Other Expenditure)	Revenue :	–	1.00	1.00
		Capital :	–	1.00	1.00
81	Social Welfare Department (Tribal Welfare)	Revenue :	6000.00	–	6000.00
83	Social Welfare Department (Special Component Plan for Scheduled Castes)	Revenue :	63000.00	–	63000.00
		Capital :	2000.00	–	2000.00
	Total :	Revenue :	340494.00	441.00	340935.00
		Capital :	464513.27	1.00	464514.27
	GRAND TOTAL		805007.27	442.00	805449.27

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 205 *read* with Article 204 of the Constitution, an Appropriation Bill has to be introduced in the State Legislature after demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

The Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary 2018-2019) Bill, 2018 which provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the Supplementary Grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Supplementary Expenditure *Charged* on the Consolidated Fund of the State in respect of the financial year 2018-2019, is introduced accordingly.

By order,
SANJAI KHARE,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 433 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(1120)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 118 सा० विधायी–2018–(1121)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।